मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय बल्लभ भवन, भोपाल म.प्र.

क्रमांक/1854/2132/2016/50-2 भोपाल, दिनांक 5/8/ .2016

प्रति,

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
एकीकृत बाल विकास सेवा,
जिला– समस्त (म.प्र.)

विषयः– बाल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी/उपआंगनवाड़ी केन्द्रों में 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषण आहार के प्रदाय के संबंध में।

संदर्भः–1'मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग का आदेश क्र./एफ 4–5 /14/ 50–2, दिनांक 24.2.2014 ।

2.मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग का आदेश क्र.26/2126/14/ 50–2, दिनांक 03.01.2015 ।

3.मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग का आदेश क्र.549/प्र.स./मबावि/ 16, दिनांक 26.3.2016 ।

.....

प्रदेश के समस्त आंगनवाडी केन्द्रों/उप आंगनवाडी केन्द्रों में 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषण आहार प्रदाय हेतु राज्यशासन के संदर्भित आदेश के द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये गये थे । उक्त निर्देशों के अतिरिक्त संचालनालय स्तर से भी समय–समय पर आवश्यक निर्देश जिलों को जारी किये गये है, तथा विभागीय समीक्षा बैठक एवं विडियो कान्फ्रेंसिंग में भी निर्देशित किया गया है। क्षेत्रिय भ्रमण के दौरान देखने में आया है कि स्व–सहायता समूह द्वारा आंगनवाडी केन्द्रो में सुबह का नाश्ता एवं दोपहर का भोजन नियमित रूप से प्रदाय नहीं किया जा रहा है कहीं –कही तो नाश्ते का वितरण किया ही नही जा रहा है तथा भोजन की गुणवत्ता भी अच्छी नहीं है।

भविष्य में आंगनवाड़ी केन्द्रों में स्व–सहायता समूह के माध्यम से गुणवत्तायुक्त पूरक पोषण आहार का नियमित रूप से वितरण सुनिश्चित करें। राज्य शासन के संदर्भित निर्देश अनुसार में स्व सहायता समूह द्वारा पूरक पोषण आहार के वितरण में देरी,मात्रा एवं गुणवत्ता की कमी पाई जाने पर स्व सहायता समूह को दी जाने वाली राशि में से प्रति मील कटौत्री की जावें । यदि कटौत्रा किए जाने के उपरान्त भी स्व सहायता समूह द्वारा पूरक पोषण आहार प्रदाय में सुधार नही किया जाता है तो उस समूह को एक नोटिस देकर तत्काल नियमानुसार बदलने की कार्यवाही की जावें ।

स्व सहायता समूह द्वारा आंगनवाडी केन्द्र पर उच्च गुणवत्तायुक्त सुबह का नाश्ता एवं दोपहर का भोजन निर्धारित समय पर अनिवार्यतः प्रदाय किया जावे। आंगनवाडी केन्द्र में हितग्राहियों को उच्च गुणवत्ता का पोषण आहार प्रतिदिन मिले इस हेतु आंगनवाडी केन्द्र में हितग्राहियों की प्रतिदिन की उपस्थिति एवं नाश्ता/ भोजन वितरण की निगरानी ग्राम सभा स्वास्थ ग्राम तदर्थ समिति के सदस्यों द्वारा प्रतिदिन अनिवार्यतः की जावेगी इस हेतु रोस्टर का निर्धारण किया जावें ।

आंगनवाड़ी केन्द्रो पर स्व–सहायता समूह द्वारा प्रदाय नाश्ता एवं भोजन का प्रतिदिन पंचनामा तैयार किया जावे। पंचनामा पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता,आशा कार्यकर्ता,स्व–सहायता समूह के प्रतिनिधि,रसोईया,सरपंच अथवा प्रतिनिधि,पालक (माता/पिता) तथा स्कूल परिसर में आंगनवाडी होने पर यथासंभव प्रधानाध्यापक द्वारा नामांकित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर कराए ।

आपके स्तर पर प्रतिमाह आंगनवाडी केन्द्रों में स्व सहायता समूह द्वारा प्रदाय किये जा रहे पूरक पोषण आहार व्यवस्था की निरन्तर समीक्षा की जावें । आंगनवाडी केन्द्र पर नाश्ता/भोजन गुणवत्तायुक्त निर्धारित समय एवं मात्रा अनुसार प्रदाय किया जाना सुनिश्चित करें ।मान.सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार किसी भी स्थिति में आंगनवाडी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार बाधित नही रहना चाहिए ।

सांझा चूल्हा व्यवस्था के अंतर्गत समय पर नाश्ता एवं भोजन उपलब्ध नहीं कराने वाले आंगनवाड़ी केन्द्रो के संबंध में प्रत्येक जिला कार्यक्रम अधिकारी आगामी राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक में की गई निदानात्मक कार्यवाही पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

(रवीन्द्र सिंह)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग

क्रमांक/1855/2132/2016/50-2 भोपाल, दिनांक 5/8/ .2016

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त,एकीकृत बाल विकास सेवा संचालनालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. कलेक्टर,जिला–समस्त (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक,एकीकृत बाल विकास सेवा संभाग समस्त (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग